न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबड़ी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व प्रा0पत्र संख्या : 39/2017

प्रार्थी
1—पाबुराम पुत्र हजारीराम जाति माली
निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1—हरदीनराम पुत्र विशनाराम जाति माली
निवासी रियांबड़ी जिला नागौर
2—तहसीलदार रियांबड़ी
3—पटवारी हल्का रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251"क" राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील वादी—श्री घनश्याम खालिया
वकील प्रतिवादीगण—श्री रामकिशोर तिवाड़ी

निर्णय

दिनांक :— 10.11.2017

प्रार्थी की ओर से वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :—
1—यह है कि मौजा रियांबड़ी की सरहद नें खसरा नंबर 768/1329 रकबा 0.53 हैक्टर व ,खसरा नंबर 766/1328 रकबा 0.80 हैक्टर की जमीन प्रार्थी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद जमीन आई हुई है। जमाबंदी की नकल साथ में पेश है।
2—यह है कि मौजा रियांबड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर की जमीन अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। खतौनी की नकल साथ में संलग्न है।
3—यह है कि खसरा नंबर 768/1329 रकबा 0.53 हैक्टर व खसरा नंबर 766/1328 रकबा 0.80 हैक्टर व खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर राजस्व नक्शा में अलग अलग तरमीन है। नक्शा में जो अलग अलग दर्शित है। खसरा नंबर 768/1329 रकबा 0.53 हैक्टर व खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हेक्टर [illegible] सिवजोड आये हुए है। ट्रेस नक्शा की प्रति साथ में पेश है।
4—यह है कि प्रार्थी की खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 768/1329 रकबा 0.53 हैक्टर की पूर्व [illegible] खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर की जमीन आई हुई है। खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 हैक्टर के पूर्व तरफ आम डामर सड़क दासावास से रियांबड़ी आई हुई है। इस आम सड़क के चिपते ही पश्चिम [illegible] अप्रार्थी का खेत खसरा नंबर 768 आया हुआ है। इस खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे [illegible] अपने खेत खसरा नंबर 768/139 में आने जाने के रास्ता हेतु उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थी इस रास्ता को अपने उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है।इस प्रकार प्रार्थी नजरी नक्शा में [illegible] मार्क ए व बी अनुसार अपने इस खसरा में आता जाता रहा है। तथा इस खसरा नंबर 768/13[illegible] जमीन को काश्त करने, आने जाने हल बैल मवेशी मजदूर लाने व ले जाने के लिए काम में ले रहा [illegible] जो खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे—सहारे आया हुआ है। परंतु कुछ समय से अप्रार्थी [illegible] नक्शा में बताये रास्ते से आने जाने में आनाकानी कर रहे है। व रास्ता को बंद करने पर आमादा है। नजरी नक्शा में रास्ता को दर्शाया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का भाग है।
5—यह है कि संलग्न नजरी नक्शा में बताये मार्क ए से बी रास्ता आया हुआ है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे नजदीक व सुलभ एक मात्र रास्ता आया हुआ है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण इस रास्ते को अब बंद करने पर आमादा है। प्रार्थी को आने जाने [illegible] रोला टंटा करते है। प्रार्थी ने इन खसरान की नकल प्राप्त की तो विदित हुआ कि इस रास्ता का [illegible]

[illegible] कलक्टर

रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है। इसी बदनियति से अप्रार्थी इस रास्ते को बंद करने की योजना बना रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

6–यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का कहा अप्रार्थी ने इंकार कर दिया। जिससे प्रार्थी माफिक कानून उक्त रास्ता का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने हेतू अप्रार्थी को इसकी राषि अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता के संबंध में राशि अप्रार्थी का दिलवाई जाकर नजरी नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता 20 फुट चौड़ा किया जाकर रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जावें। प्रार्थी उक्त राशि अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रियांबड़ी की सरहद में स्थित खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे सहारे पूर्वी–पश्चिमी लंबाई में 20 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए से बी स्थान पर कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से जबाब व अप्रार्थीगण संख्या 2 से रस्ते के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिए वकील रामनिवास तिवाड़ी ने वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र फैहरिस्त दस्तावेज पेश किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी से रास्ता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में वाद पत्र के समस्त पैराज को अस्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे पूर्व से पश्चिम लंबाई में 20 फुट चौड़ा मार्क ए से बी रास्ता प्रार्थी का प्रार्थी के खेत में जाने का कभी नहीं रहा है प्रार्थी का रास्ता उसके खेत में आने जाने का उसके खेत खसरा नंबर 768/1329 की उत्तर और पश्चिम के कोने पर सरकारी रास्ता आने जाने का मौजूद है। जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रियांबड़ी के खसरा नंबर 768 का मौका देखा गया खसरा नंबर 768 रियांबड़ी से दासावास जाने वाली सड़क पर स्थित है। खसरा नंबर 768 की उतरी सीमा के पास खसरा नंबर 768/1329 में जाने का मौके पर रास्ता बना हुआ है। रास्ता को कांटे की बाड़ डालकर बंद कर रखा है। खसरा नंबर 768/1329 में जाने का निकटतम मार्ग यही है। जो पुराने समय से चला आ रहा है। जिसके स्पष्ट चिन्ह् मौजूद है। इस रास्ते के अलावा अन्य निकटतम रास्ता नहीं है। उपस्थित मौतबिरान ने भी उक्त रास्ते को खुलवाने का निवेन किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नंबर 768/1329 व 766/1328 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिमी लंबाई में रास्ता कीमतन दिलाया जावें क्योंकि पूर्व में यहां से ही प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता था। आज भी रास्ते के चिन्ह् मौजूद है। अप्रार्थी ने कांटे डालकर उक्त रास्ता बंद कर दिया है। इसके अलावा निकटतम रास्ता कोई नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में बताये रास्ते से कभी भी आता जाता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए ऑलरेडी रास्ता मौजूद है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में नक्शा की प्रति पेश की। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन से किया गया जिससे पाया गया कि वकील अप्रार्थी सं.1 व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। निर्णय से पूर्व रिपोर्ट पुनःमंगवाई जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार को स्वय मौके पर जाकर रास्ते के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करने बाबत तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार ने दिनांक 10.11.2017 को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार रियांबड़ी के खसरा नंबर 768 व 768/1329 का मौका निरीक्षण किया गया। खसरा नंबर 768/1329 का उत्तर पश्चिम कोने पर सरकारी रास्ता खसरा नंबर 778 से छूता है। खसरा नंबर 778 से रियांबड़ी से कस्बे की आबादी का सम्पर्क मार्क है। खसरा नंबर 768/1329 में आवासीय मकान भी बने हुए है। खसरा नंबर 768/1329 से दासावास रोड़ पर जाने के लिए खसरा नंबर 768 में सें 60 मीटर की दूरी तय करनी है यदि खसरा नंबर 778 से खसरा नंबर 832 से दासावास रोड़ पर खसरा नंबर 768 के पास आने पर करीबन 2 किमी दूरी तय करनी होती है। इसलिए खसरा नंबर 768/1329 का सम्पर्क मार्ग दासावास रोड से सम्पर्क के लिए खसरा नंबर 768 में दिये जाना वाला रास्ता उचित व तर्क संगत है। पूर्व में भी खसरा

सहायक कलक्टर

पाबूराम बनाम हरदीनराम

नंबर 768 की उतरी मेड़के सहारे सहारे रास्ता रहा है। खसरा नंबर 768 में वर्तमान में खातेदारी हरदीनराम पुत्र विशनाराम ने इकरारनामा पाबूराम,मदनराम, पि.हजारी मांगीलाल पुखराज,छोटुराम पिसरान विशनाराम के साथ नैनकीया बेरा तक रास्ता आगे दासावास मार्ग तक निकालने का जो कि 12 फुट का देने का इकरार दिनांक 15.1.1999 को हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है। मौका निरीक्षण व रिकार्ड अवलोकन से व पूर्व में किये गये इकरार से स्पष्ट रहा है कि खसरा नंबर 768 की उतरी माठ के सहारे सहारे रास्ता रहा है और रास्ता दासावास रोड़ से सम्पर्क का मार्ग है। एंव सहायक कलक्टर मेड़ता के कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक ... 2001 में भी उक्त रास्ते का होने का उल्लेख है एंव दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड प्रार्थी अप्रार्थी,तहसीलदार की पूर्व की जांच रिपोर्ट तथा पुनः मंगवाई गई जांच व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । समस्त विवेचन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार की पूर्व रिपोर्ट व पुनः रिपोर्ट में कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थी को अपने खेत खसरा नंबर 768/1329 में जाने के लिए सबसे निकटतम मार्ग यानि कम दूरी वाला खसरा नंबर 768 के उतरी माठ के सहारे सहारे ही उचित रहेगा। क्योंकि इसकी दूरी 60 मीटर करीबन है। हालांकि खसरा नंबर 768/1329 के पूर्वी कोने पर सरकारी कटाणी रास्ता आया हुआ है। परंतु प्रार्थी को 2 किमी की दूरी तय करके अपने खेत में आया जाया सकता है। जो दूरी का रास्ता है। प्रार्थी द्वारा ... गया रास्ते के संबंध में पूर्व में इकरार किया हुआ था जिसमें 12 फुट चौड़ा रास्ता रखने का था। मगर ... वर्तमान में अप्रार्थी ने रास्ता को बंद कर दिया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि :–

:: आ दे श ::

" मौजा रियांबड़ी के खेत खसरा नंबर 768 के उतरी तरफ 60 मीटर लंबाई व 5.5 मीटर चौड़ाई यानि 330 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 768/1329 में आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता के लिए घोषित की जाती है। जो सरकारी रास्ता रहेगा। जिस पर किसी का हक व अधिकार नहीं होगा केवल रास्ते के रूप में आने जाने के लिए ही प्रयोग में रहेगा। रास्ते की 330 वर्गमीटर भूमि में प्रभावित भूमि रकबा —

0.03 हैक्टर होगा। जिसकी डीएलसी दर रूपये प्रति हैक्टर 338190 रूप्ये से प्रभावित रकबे की ... डीएलसी दर की दोगुनी राशि 20300/– प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1को भुगतान करें।

तहसीलदार रियांबड़ी आदेशित रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में गै.मु.रास्ता राशि भुगतान/जमा होने के पश्चात किया जावे।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी